



डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन  
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर  
प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कडवड़, जोधपुर (पिन नं. 342037)



क्रमांक :- रा.आ.वि./एके/एफ-3/(AC)/(01)/ 06-07/1798-1806 दिनांक: 20/06/2026

1. प्रो. महेन्द्र कुमार शर्मा, अधिष्ठाता (आयुर्वेद संकाय) एवं प्राचार्य, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
2. प्रो. मोहम्मद आजम अंसारी, अधिष्ठाता (यूनानी संकाय) एवं प्राचार्य, राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जयपुर
3. प्रो. जयराम चौधरी, अधिष्ठाता (होम्योपैथी संकाय) एवं निदेशक, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च संस्थान, जयपुर
4. प्रो. गोविन्द प्रसाद गुप्ता, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, रोग एवं विकृति विज्ञान विभाग, पी.जी.आई.ए., जोधपुर
5. प्रो. शिव कुमार भारद्वाज, प्राचार्य, शिरडी साई बाबा आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, रेनवाल जयपुर
6. प्रो. ज्ञान प्रकाश शर्मा, प्रोफेसर (कार्यव्यवस्थार्थी), पी.जी.आई.ए., जोधपुर
7. प्रो. ए. नीलिमा, प्रोफेसर, पी.जी.आई.ए., जोधपुर
8. प्रो. महेन्द्र प्रजापति, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, मानद विश्वविद्यालय (डी-नोवो), जयपुर
9. प्रो. किशोरी लाल शर्मा, एसो.प्रोफेसर, स्नातकोत्तर क्रिया शरीर विभाग, म.मो.मा.राज.आयु. महाविद्यालय, उदयपुर

विषय:- डॉ.एस.आर.राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की विद्या परिषद् का 61 उपवेशन दिनांक 18 जून 2026 के कार्यवाही विवरण के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की विद्या परिषद् का 61वां उपवेशन जो दिनांक 18.06.2026 को प्रो.(डॉ.) गोविन्द सहाय शुक्ल, कुलगुरु महोदय की अध्यक्षता में प्रातः 11.00 बजे विडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा विश्वविद्यालय के करवड़, नागौर रोड़, जोधपुर स्थित प्रशासनिक खण्ड में आयोजित किया गया, जिसमें समिति द्वारा लिए गए निर्णयानुसार कार्यवाही विवरण आपको इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न: कार्यवाही विवरण पृष्ठ संख्या 03 से 09 तक।

क्रमांक :- रा.आ.वि./एके/एफ-3/(AC)/(01)/ 06-07/ 1807

कुलसचिव  
दिनांक: 20/06/2026

प्रतिलिपि निजी सचिव, कुलगुरु महोदय, डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

कुलसचिव

Signature valid

Digitally signed by Atul Bal Ratnoo  
Designation: Controller Finance  
Date: 2026.06.20 17:55:59 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:  
22953735  
1  
M e-Sign



डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्  
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर  
विद्या परिषद् का 61वां उपवेशन

**18 जून 2026**  
कार्यवाही विवरण



डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर  
प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड, कड़वड़, जोधपुर

Signature valid

Digitally signed by Atul Bal Ratnoo  
Designation: Controller Finance  
Date: 2026.06.20 17:55:59 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:  
32953735  
2  
M e-Sign



# डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

फोन: 0291 -5153702  
0291 -5153704

प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कडवड़, जोधपुर (पिन नं. 342037)

Web side : www.raujodhpur.org , E-mail- rau\_jodhpur@yahoo.co.in

क्रमांक :- रा.आ.वि./एके/एफ-3/(AC)/(01)/ /06-07/

दिनांक:

## कार्यवाही विवरण - विद्या परिषद्

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की विद्या परिषद् का 61वां उपवेशन दिनांक 18.06.2026 को कुलगुरु महोदय प्रो.(वैद्य) गोविन्द सहाय शुक्ल की अध्यक्षता में प्रातः 11.00 बजे व्यक्तिशः/विडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा विश्वविद्यालय के करवड़, नागौर रोड़, जोधपुर स्थित प्रशासनिक खण्ड में आयोजित किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण व्यक्तिशः उपस्थित हुए :-

1. प्रो.(वैद्य) गोविन्द सहाय शुक्ल, कुलगुरु एवं अध्यक्ष, डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
2. प्रो. महेन्द्र कुमार शर्मा, अधिष्ठाता (आयुर्वेद संकाय) एवं प्राचार्य, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
3. प्रो. गोविन्द प्रसाद गुप्ता, चैयरमेन, आयुर्वेद अध्ययन बोर्ड एवं विभागाध्यक्ष, रोग एवं विकृति विज्ञान विभाग, पीजीआई, जोधपुर
4. प्रो. ज्ञान प्रकाश शर्मा, प्रोफेसर (कार्यव्यवस्थार्थ), पी.जी.आई.ए., जोधपुर
5. प्रो. ए. नीलिमा, प्रोफेसर, पी.जी.आई.ए., जोधपुर
6. श्री अतुल बल रतनू, कुलसचिव, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

उपवेशन में निम्नलिखित सदस्य विडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा ऑन-लाईन उपस्थित हुए :-

7. प्रो. जयराम चौधरी, अधिष्ठाता (होम्योपैथी संकाय) एवं निदेशक, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च संस्थान, जयपुर
8. प्रो. मोहम्मद आजम अंसारी, अधिष्ठाता (यूनानी संकाय) एवं प्राचार्य, राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जयपुर
9. प्रो. शिव कुमार भारद्वाज, प्राचार्य, शिरडी साई बाबा आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, रेनवाल जयपुर
10. प्रो. महेन्द्र प्रजापति, प्रोफेसर, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, मानद विश्वविद्यालय (डी-नोवो), जयपुर
11. डॉ. किशोरी लाल शर्मा, एसो.प्रोफेसर, स्नातकोत्तर क्रिया शरीर विभाग, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर

Signature valid

Digitally signed by Atul Bal Ratnoo  
Designation: Controller Finance  
Date: 2026.06.20 17:55:59 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:  
32953735  
3  
M e-Sign

सर्वप्रथम विद्या परिषद् दिनांक 18 जून 2026 को आयोजित उपवेशन में उपस्थित सदस्यों का कुलगुरु महोदय के स्वागतोपरान्त मद पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गई :-

| क्र.सं. | एजेण्डा बिन्दु विवरण                                                 | विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | विद्या परिषद् के उपवेशन दिनांक 23 फरवरी 2026 के अनुपालना का अनुमोदन। | <p>विद्या परिषद् के उपवेशन दिनांक 23 फरवरी 2026 के <b>एजेण्डा बिन्दु संख्या-1 के 8(4)</b> में विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेस 14 मई, 2010 के O.24 "Control of Unfairness and Disorderly Conduct" में उल्लेखित पहलुओं पर पुनर्विचार हेतु प्रस्ताव के लिए गठित समिति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।</p> <p><b>एजेण्डा बिन्दु संख्या-3</b> में नवीन बी.एन.वाई.एस., बी.एससी. नर्सिंग (आयुर्वेद) महाविद्यालयों द्वारा सत्र 2025-26 की सम्बद्धता शुल्क को सत्र 2026-27 में समायोजन करने एवं पुनः लौटाने हेतु निवेदन करने एवं अन्य पर कुलगुरु महोदय द्वारा गठित समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p><b>एजेण्डा बिन्दु संख्या-6</b> में विश्वविद्यालय द्वारा संचालित छः महा, एक वर्षीय, द्वि-वर्षीय प्रमाण-पत्रीय पाठ्यक्रमों का अकादमिक कलेण्डर तैयार करने के सम्बन्ध में कुलगुरु महोदय द्वारा गठित समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p><b>एजेण्डा बिन्दु संख्या-11(2)</b> में वृद्धावस्था देखभाल सहायक (Old age care assistant) प्रशिक्षण सर्टिफिकेट कोर्स हेतु गठित समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p><b>एजेण्डा बिन्दु संख्या-11(4)(i)</b> में पीजीआईए, जोधपुर में अध्ययनरत यूजी/पीजी अध्येताओं की महाविद्यालय एवं छात्रावास शुल्क समय पर जमा नहीं करवाने की स्थिति में पूर्व निर्धारित शुल्क 100 रुपये प्रति दिन यथावत रखने का अनुमोदन किया गया। विलम्ब शुल्क माफ करने हेतु सर्वसम्मति से कुलगुरु महोदय को कमेटी के गठन हेतु अधिकृत किया गया।</p> |

Signature valid

Digitally signed by Atul Bal Ratnoo  
Designation: Controller Finance  
Date: 2026.06.20 17:55:59 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:  
22953735  
4  
M e-Sign

| क्र.सं. | एजेण्डा बिन्दु विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                         | विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>एजेण्डा बिन्दु संख्या-14</b> में एम.एससी. नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु उक्त पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में समीक्षा शेष होने के कारण संचालन नहीं किया जा सकता है।</p> <p>शेष सभी एजेण्डा बिन्दुओं एवं वक्त उपवेशन के प्राप्त रिपोर्ट एवं चर्चा में कार्यवाही पूर्ण होने के कारण शेष सभी एजेण्डा बिन्दुओं का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।</p> |
| 2.      | सत्र 2026-27 की सम्बद्धता हेतु राज्य सरकार से नवीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर आवेदन करने पर निरीक्षकों की नियुक्ति एवं जारी आदेशों की कार्योत्तर स्वीकृति एवं रिपोर्ट पर विचार-विमर्श।                                                                                                                  | सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.      | विश्वविद्यालय की सम्बद्धता प्राप्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी/योग महाविद्यालय एवं बी.एससी. नर्सिंग (आयुर्वेद) पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 2026-27 के निरीक्षकों की नियुक्ति पर विचार-विमर्श।                                                                                                | सत्र 2026-27 के निरीक्षकों की नियुक्ति हेतु सर्वसम्मति से कुलगुरु महोदय को अधीकृत किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.      | विश्वविद्यालय में नवीन आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु आवेदन का प्रारूप एवं सम्बद्धता प्राप्त राजकीय एवं निजी स्नातकोत्तर एवं स्नातक आयुर्वेद महाविद्यालय के सम्बद्धता हेतु नियमित निरीक्षण प्रारूप के सम्बन्ध में गठित समिति की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श।                                            | सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.      | विश्वविद्यालय में नवीन बी.एससी. नर्सिंग (आयुर्वेद)/बी.एन.वाई.एस. महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु आवेदन का प्रारूप एवं सम्बद्धता प्राप्त राजकीय एवं निजी बी.एससी. नर्सिंग (आयुर्वेद)/बी.एन.वाई.एस. महाविद्यालय के सम्बद्धता हेतु नियमित निरीक्षण प्रारूप के सम्बन्ध में गठित समिति की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श। | सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Signature valid**

Digitally signed by Atul Bal Ratnoo  
Designation: Controller Finance  
Date: 2026.06.20 17:55:59 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:  
22953735  
5  
M e-Sign

| क्र.सं. | एजेण्डा बिन्दु विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.      | विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 की धारा-14(2)(च)- “महाविद्यालयों के प्राचार्यों, विश्वविद्यालय विभागों के विभागाध्यक्षों और मान्यता प्राप्त या अनुमोदित संस्थाओं के विभागाध्यक्षों से भिन्न, कम से कम सोलह वर्ष का अध्यापन अनुभव रखने वाले अध्यापकों में से विद्या परिषद् द्वारा सहयोजित, प्रत्येक संकाय का प्रतिनिधित्व करने वाला एक अध्यापक;” के प्रावधानानुसार तीन वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति तिथि तक, जो भी पहले हो, के लिए प्रत्येक संकाय हेतु एक सदस्य के मनोनयन पर विचार। | विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 की धारा-14(2)(च) में दिए गए प्रावधानानुसार तीन वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति तिथि तक, जो भी पहले हो, के लिए प्रत्येक संकाय हेतु एक सदस्य के मनोनयन के लिए सर्वसम्मति से कुलगुरु महोदय को अधीकृत किया गया।                                                                                                            |
| 7.      | 20 दिवसीय सेमी ऑनलाईन पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स इन अनुशस्त्र कर्म के पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार-विमर्श।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | उक्त पाठ्यक्रम को 20 दिवस के स्थान पर एक माह का करने एवं पाठ्यक्रम में संशोधन हेतु सर्वसम्मति से निम्नलिखित अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया :-<br>1. प्रो. महेन्द्र कुमार शर्मा, अधिष्ठाता, आयुर्वेद संकाय।<br>2. डॉ. विष्णु दत्त शर्मा, पी.जी.आई.ए., जोधपुर<br>3. डॉ. अशोक शर्मा, शल्यतंत्र विभाग, एन.आई.ए., जयपुर (बाह्य सदस्य)। |
| 8.      | प्राचार्य, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी, जोधपुर से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार-विमर्श।<br>1. विश्वविद्यालय में यू.टी.बी. पर कार्यरत शैक्षणिक संकाय सदस्यों को विभिन्न विश्वविद्यालयों (सम्बद्धता महाविद्यालय के अलावा) में बाह्य परीक्षक, सेमिनार, कार्यशाला, संगोष्ठी (Symposium) में भाग लेने हेतु शैक्षणिक/अकादमिक गतिविधियों के लिए एक वर्ष में 12 अकादमिक अवकाश (AL) की स्वीकृत हेतु।                                                                            | उक्त सम्बन्ध में पूर्व में गठित समिति की रिपोर्ट के साथ राज्य सरकार को पत्र प्रेषित करने हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।                                                                                                                                                                                                             |

Signature valid

Digitally signed by Atul Bal Ratnoo  
Designation: Controller Finance  
Date: 2026.06.20 17:55:59 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:  
32953735  
6  
M e-Sign

| क्र.सं. | एजेण्डा बिन्दु विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>2. NAAC/NABH/NABL द्वारा आयोजित प्रशिक्षण एवं निरीक्षण में भाग लेने पर ओ.डी. की स्वीकृति हेतु।</p> <p>3. भारत व राज्य सरकार द्वारा संस्थाओं को दिये जाने वाले शोध परियोजनाओं से संबंधित कार्यों में भाग लेने हेतु ओ.डी. की स्वीकृति हेतु।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9.      | विश्वविद्यालय की गोपनीय/परीक्षा शाखा से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार-विमर्श।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सर्वसम्मति से कुलगुरु महोदय को अधीकृत किया गया।                                                                                                                                                                                               |
| 10.     | प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (PG) प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक न्यूनतम मानक/मापदण्ड (MSR) एवं चार विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (PG Syllabus) के अनुमोदन पर विचार-विमर्श।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।                                                                                                                                                                                                              |
| 11.     | <p>प्रो. ज्ञान प्रकाश शर्मा, विद्या परिषद् सदस्य द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर विचार-विमर्श।</p> <p>1. नियमों के अनुसार, यूनिवर्सिटी के रेगुलर कर्मचारियों के लिए राजस्थान सरकार की हेल्थ स्कीम (मेडिकलेम) के लाभों को ठीक किया जाना चाहिए। साथ ही, राजस्थान सरकार की मेडिकलेम योजना के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अस्पताल की OPD और IPD सर्विस कैटेगरी को अपग्रेड किया जाना चाहिए।</p> <p>2. रेगुलर कर्मचारी पेंशन फंड से पैसे निकालने और वित्तीय गतिविधियों के लिए, PGIA के 4 प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल एडवाइजर संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे।</p> | <p>1. उक्त सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की आवश्यक वित्तीय परीक्षण कर प्रकरण पत्रावली पर कुलगुरु महोदय के समक्ष रखा जावे।</p> <p>2. रेगुलर कर्मचारी पेंशन फंड का अन्य मद में उपयोग नहीं किया जाएगा केवल पेंशन के लिये ही काम में लिया जावेगा।</p> |

Signature valid

Digitally signed by Atul Bal Ratnoo  
Designation: Controller Finance  
Date: 2026.06.20 17:55:59 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:  
32953735  
7  
M e-Sign

| क्र.सं. | एजेण्डा बिन्दु विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                            | विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.     | प्रोफेसर पद पर डी.पी.सी. के माध्यम से 100 प्रतिशत का प्रावधान किये जाने पर विचार-विमर्श।                                                                                                                                                                                                        | <p>इस सम्बन्ध में नियमों के संदर्भ में परीक्षण किए जाने हेतु सर्वसम्मति से निम्नलिखित समिति का गठन किया गया :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. कुलसचिव, डॉ. एस.आर. रा.आ.वि.वि., जोधपुर।</li> <li>2. प्रो. महेन्द्र कुमार शर्मा, अधिष्ठाता, आयुर्वेद संकाय।</li> <li>3. प्रो. ज्ञान प्रकाश शर्मा, पी.जी.आई.ए., जोधपुर</li> <li>4. डॉ. मनोज कुमार अदलखा, उपकुलसचिव।</li> </ol> <p>कमेटी डी.ओ.पी. एवं अन्य विश्वविद्यालयों में इस हेतु प्रावधित नियमों के संदर्भ में परीक्षण कर रिपोर्ट पेश होगी।</p> |
| 13.     | विश्वविद्यालय की पीजीआईए, जोधपुर के क्रिया शारीर विभाग द्वारा संचालित एक माह अवधि के “नाड़ी परीक्षण सर्टिफिकेट” पाठ्यक्रम को एक वर्ष में चार बार के स्थान पर दो बार आयोजित किए जाने पर प्राप्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श।                                                                        | सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14.     | देवव्यापश्रय चिकित्सा इकाई के अन्तर्गत दो सर्टिफिकेट कोर्स त्रैमासिक ज्योतिष एवं मंत्र चिकित्सा सर्टिफिकेट कोर्स बी.ए.एम.एस., बी.एन.वाई.एस., एम.डी./एम.एस. (आयुर्वेद) में अध्ययनरत एवं बी. ए.एम.एस., बी.एन.वाई.एस., एम.डी./एम.एस. (आयुर्वेद) डिग्री प्राप्तकर्ताओं के लिए संचालित किया जाना है। | उक्त पाठ्यक्रम हेतु सर्वसम्मति से कुलगुरु महोदय द्वारा एक एडवाइजरी बोर्ड एवं तकनीकी कमेटी के गठन हेतु अनुमोदित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15.     | अनुसंधान बोर्ड उपवेशन 11 जून 2026 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।                                                                                                                                                                                                                                | सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Signature valid**

Digitally signed by Atul Bal Rathnoo  
Designation: Controller Finance  
Date: 2026.06.20 17:55:59 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:  
32953735  
8  
M e-Sign

| क्र.सं. | एजेण्डा बिन्दु विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.     | अनुपूरक एजेण्डा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | 1. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षाओं सी.बी.डी.सी. आधारित में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली के नियमानुसार यू.जी. पाठ्यक्रम की समस्त परीक्षाओं में वर्तमान में दोहरा मूल्यांकन भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक 2022 दिनांक 27.02.2022 के तहत अपनाया जा रहा है। उक्त सन्दर्भ में राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त पत्रांक 4313-4319 दिनांक 11.09.2024 पत्र विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। | 1. सर्वसम्मति से कुलगुरु महोदय को अधीकृत किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | 2. प्रो. किशोरी लाल शर्मा, विद्या परिषद् सदस्य द्वारा ई-मेल से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण करने हेतु सर्वसम्मति से निम्नलिखित समिति का गठन किया गया :-<br>1. प्रो. महेन्द्र कुमार शर्मा, अधिष्ठाता, आयुर्वेद संकाय।<br>2. प्राचार्य, म.मो.मा. राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर<br>3. प्रो. ए.नीलिमा रेड्डी, पी.जी.आई.ए., जोधपुर<br>4. प्रो. शिव कुमार भारद्वाज, प्राचार्य, शिरडी साई बाबा आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, रेनवाल जयपुर |

अन्त में धन्यवाद के साथ उपवेशन समाप्त हुआ। (पृष्ठ संख्या 03 से 09 तक)।

कुलसचिव  
(सदस्य सचिव)

Signature valid

Digitally signed by Atul Bal Ratnoo  
Designation: Controller Finance  
Date: 2026.06.20 17:55:59 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:  
32953735  
9  
Me-Sign